न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या – 2019/00006 दायर दिनांक 23.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

–सायल–

बनाम

1. जीवन खां पुत्र अलादीन खां कायमखानी मै0 डी.के. इन्ट्रप्राईजेज राम मन्दिर के पास चूरू जिला चूरू।
2. अशोक कुमार माथुर पुत्र गणपत लाल माथुर (नोमिनी) मै0 Gujrat Co-Operative Shri Rampura Colony, Civil Lines, Jaipur 302006

–गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित – खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक 13.06.2022

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै नागरमल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ अभियुक्त जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (11)/51 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011 श्रीमानजी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.2011 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यानिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.04.2018 को 10.30 ए.एम. पर मै० डी. के. इन्द्रप्राईजेज राम मन्दिर के पास चूरू की दुकान पर पहुचा। वहां पर जीवन खां अपनी दुकान में एक किलोग्राम **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** के 10 सील बंद पेकट एक डीप फ्रीजर में बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री जीवन खां से पुछने पर बताया कि **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** ग्राहको को बेचने का कार्य करता हूं।
3. यह कि आवेदक खाध सुरक्षा अधिकारी मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री जीवन खां को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** में मिलावट का शक होने पर उसमें से 1 किलोग्राम का एक सील बंद पेकट **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री जीवन खां को 320/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री मदनलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** को विक्रेता एवं गवाह को चार खाली साफ सुखी प्लास्टिक कि बोतलो को दिखाकर उक्त खरीदशुदा **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्लास्टिक बोतलों में परिरक्षक फोर्मलीन की 24–24 बूंदे डालकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

बोतलो को ढकन्न लगाकर ऐयरटाईड बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की बोतलो पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–1819 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1819 नियमानुसार चारों नमूनों बोतलों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूने के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने क भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाह के हस्ताक्षर करावें । चारों नमनों के भागों पर नमना संख्या नमना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म परिरक्षक मात्रा अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढा सुनाकर हस्ताक्षर करवायें एवं चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर पुनः नमूनों के भागों को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने के एक भाग पर मुख्य विषलेशक राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफे में फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील मोहर कर सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेषण क्रमांक–175 दिनांक 21.05.2018 प्राप्त हुआ। जिसके साथ खाद्य विशलेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./696/एक्ट/2018/794 दिनांक 07.05.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खादय पदार्थ **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल**, Under SECTION 3(1)(ZX) **सबस्टैण्डर्ड** फुड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

मै० डी.के. इन्द्रप्राईजेज चूरू ने उक्त माल खरीद का बिल मै0 GUJRAT CO&OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED JAIPUR का पेश किया। मै० GUJRAT CO&OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED JAIPUR ने माल खरीद का बिल पेश किया वह दिनांक 27.02.2018 का था जबकि उक्त माल की पीकेडी 06.03.2018 है। उक्त माल का बिल पेश करने हेतु मै० GUJRAT CO&OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LIMITED Jaipur को बार–बार लिखने के बावजूद मी माल खरीद का बिल पेश नहीं किया।

9. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/431 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।
10. यह कि उक्त प्रकरण में जीवन खां वगैरह ने **सबस्टैण्डर्ड पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान ने वकालतनामा पेश किया किन्तु जवाब पेश नहीं किया और ना ही उपस्थित आये, इसीलए खाध सुरक्षा अधिकारी के बयान करवाये गये तथा गैरसायलान अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** का सेम्पल नं. एल–1819 रिपोर्ट संख्या एल.एस./696/एक्ट/2018/794 दिनांक 07.05.2018 के अनुसार **सबस्टैण्डर्ड** पाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायलान को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ की बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** की सेम्पल नं. एल–1819 रिपोर्ट संख्या एल.एस./696/एक्ट/2018/794 दिनांक 07.05.2018 से **सबस्टैण्डर्ड** (Under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006 due to less contents of Milk fat content % by Weight) होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायलान के द्वारा **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायलान को **सबस्टैण्डर्ड** खाद्य पदार्थ **पनीर (मलाई) ब्राण्ड अमूल** बेचने के कारण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल संख्या 01 जीवन खां पुत्र अलादीन खां कायमखानी मै0 डी. के. इन्ट्रप्राईजेज राम मन्दिर के पास चूरू जिला चूरू को 4,00,000/– रूपये (चार लाख रूपये मात्र) तथा गैरसायल संख्या 02 अशोक कुमार माथुर पुत्र गणपत लाल माथुर (नोमिनी) मै0 Gujrat Co- Operative Shri Rampura Colony, Civil Lines, Jaipur 302006 को 5,00,000/– रूपये (पांच लाख रूपये मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायलान को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायलान उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियॉ, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायलान द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायलान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। अभिहित अधिकारी चूरू मुख्यालय रतनगढ सीज माल का निस्तारण नियमानुसार करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6

(लोकेश कुमार गौतम)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू